



संख्या : /जी0एस0/शिक्षा/A3-74(6)/2020

प्रेषक,

**बृजेश कुमार संत,**  
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

**कुलसचिव,**  
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,  
नैनीताल।

**राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड**

**देहरादून दिनांक 02 नवम्बर, 2020**

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या: 2173 दिनांक 28 अक्टूबर, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज, कोर्ट रोड़, काशीपुर, ऊधमसिंहनगर को बी0 कॉम (Financial Accounting) पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2020-21 की नवीन अस्थाई सम्बद्धता का प्रस्ताव कुलपति की संस्तुति के साथ उपलब्ध कराया गया है।

2- शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु नवीन अस्थाई सम्बद्धता के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-37 (2) के अन्तर्गत महाविद्यालय को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की नवीन अस्थाई सम्बद्धता मा0 कुलाधिपति द्वारा पूर्व स्वीकृति/पूर्वानुमोदन निम्नांकित उपबन्धों के साथ प्रदान किया गया है कि विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, यू0जी0सी0 विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्यवाही करेगी तथा विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना से मा0 कुलाधिपति महोदय को अवगत करायेगा :-

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	नवीन अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
1.	ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज, कोर्ट रोड़, काशीपुर, ऊधमसिंहनगर	बी0कॉम (Financial Accounting)	60 सीट	सत्र 2020-21

1- विश्वविद्यालय संस्थान में बी0कॉम (Financial Accounting) पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने से पूर्व कार्यपरिषद का अनुमोदन सम्बन्धी निर्णय उपलब्ध करायेगा।

2- विश्वविद्यालय कार्यपरिषद से नये पाठ्यक्रम बी0कॉम ;(Financial Accounting) का अनुमोदन प्राप्त कर, कार्यपरिषद के कार्यवृत्त की प्रति एवं फैंकल्टी अर्हता विषयक प्रमाण पत्र 03 माह के भीतर आवश्यक रूप से कुलाधिपति कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायेगा।

3- मानक पूर्ण न होने की दशा में संस्थान को इस पाठ्यक्रम को आगे चलाये जाने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। तदनुसार अग्रोत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

भवदीय,

**(बृजेश कुमार संत)**

कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : 1835 (1)/जी0एस0/शिक्षा/A3-74(6)/2020 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य, सम्बन्धित संस्थान।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

**(जितेन्द्र कुमार सोनकर)**

कुलाधिपति के संयुक्त सचिव।